अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–90 सन् 2017

बिरेन्द्र कुमार सिंह.....वादी

बनाम

अभय कुमार सिंह व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक–30.01.2021

उभय पक्ष अनुपस्थित है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0 3 ता 8 की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक–08.03.2019 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादीगण के द्वारा संशोधन आवेदन में कथन है कि प्रतिवादगण के द्वारा दाखिल बयान तहरीरी के अंश वंशावली पेज–9 में टंकक की गलती से बालदेव सिंह उर्फ कालि सिंह के पुत्रों के नाम राम विलास सिंह उर्फ दीनानाथ सिंह दर्ज हो गया है। जबकि बालदेव सिंह उर्फ कालि सिंह को एक मात्र पुत्र राम विलास सिंह थे। राम विलास सिंह को दो पुत्र खेदन सिंह (मृत) व रामाशीष सिंह उर्फ दीनानाथ सिंह थे परंतु टंकक ने भूलवश खेदन सिंह का नाम टंकित नहीं किया है। उपरोक्त आशय का वर्णन प्रतिवादीगण के द्वारा अपने बयान तहरीरी के कंडिका 14 में स्पष्ट रूप से वर्णित किया है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 3 ता 8 द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन स्वीकृत किया जाए।

वादी की ओर से दिनांक–25.04.2019 को उपर्युक्त संशोधन आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल कर कथन है कि प्रतिवादीगण का संशोधन आवेदन खारिज होने योग्य है। प्रतिवादीगण का आवेदन अस्पष्ट है। प्रतिवादीगण ने वंशावली में बालदेव सिंह उर्फ कालि सिंह के नीचे राम विलास सिंह (मृत) पहले से ही दर्ज है। प्रतिवादीगण ने वंशावली में जहां राम विलास सिंह का नाम दर्ज है उसे काटकर खेदन सिंह (मृत) करने की बात कही है। यह संशोधन होना संभव नहीं है। वादी को जो महत्वपूर्ण

अधिकार प्राप्त है वह इस संशोधन से समाप्त हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादीगण का संशोधन आवेदन कानूनन पोषणीय नहीं है। प्रतिवादीगण ने संशोधन आवेदन वादी को परेशान करने एवं वाद की कार्यवाही को विलंब रखने की नियत से दिया हैं अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 3 ता 8 का संशोधन आवेदन खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि इस वाद में वाद बिन्दु का गठन हो चुका है और अभिलेख वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुतिकरण हेतु निर्धारित हैं। प्रतिवादीगण के द्वारा बयान तहरीरी के पृष्ट सं0 9 पर वंशावली दी गई है। वंशावली में बालदेव सिंह उर्फ कालि सिंह के दो पुत्र राम विलास सिंह (मृत) एवं रामाशीष सिंह उर्फ दीनानाथ सिंह दर्शाया गया है। जबकि संशोधन आवेदन में प्रतिवादीगण का कथन है कि बालदेव सिंह उर्फ कालि सिंह को एक पुत्र राम विलास सिंह थे और राम विलास सिंह को दो पुत्र खेदन सिंह (मृत) व रामाशीष सिंह उर्फ दीनानाथ सिंह थे। प्रतिवादीगण के वंशावली में प्रतिवादीगण के द्वारा राम विलास सिंह के पुत्र रामचंद्र सिंह (मृत) एवं रामाशीष सिंह उर्फ दीनानाथ सिंह के पुत्र राम वचन सिंह (मृत) भी दर्शाया गया है। जिसके बारे में प्रतिवादीगण के द्वारा अपने आवेदन में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादीगण के द्वारा दाखिल संशोधन आवेदन पोषणीय नहीं है। अतः प्रतिवादीगण के ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक–08.03.2019 को पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है और उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे पुनः संशोधन आवेदन वंशावली को पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हुए दाखिल कर सकते है।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक–12.02.2021

सब जज

सोनपुर सारण।